

फर्द अहकाम

(नियम 26)

## न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट

श्री श्यामलाल सोनी पुत्र श्री मोहनलाल

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी

जाति सोनी

उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा

निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा

जिला सिरौही।

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 33 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
16.04.2021	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेंट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को दिनांक 18.02.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलांत द्वारा खसरा संख्या 739/1 रकबा 23.09 बीघा से सम्बन्धित सूचना एवं रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयवाधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को दिनांक 18.02.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलांत द्वारा खसरा संख्या 739/1 रकबा 23.09 बीघा से सम्बन्धित सूचना एवं रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाइ जावे। चूंकि सूचना तहसील कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 679 दिनांक 01.03.2021 को तहसीलदार पिण्डवाडा को लिखा गया। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फॉसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)  
जिला कलक्टर, सिरौही

